मुरगांव पत्तन न्यास

यातायात विभाग

मुरगांव पत्तन न्यास : बर्थिंग नीति

प्राधिकार :-

1. पोत परिवहन मंत्रालय आदेश सं. पीटी-11033/51/2014-पीटी दिनांक 4/9/2014 तथा टैम्प आदेश सं. टैम्प/62/2014-सामान्य दि. 15/12/2014 (तटीय जहाज)
2. रसायन और उर्वरक मंत्रालय आदेश संख्या 1-9/2013 नौवहन॥
3. मंडल संकल्प सं. 66, दि. 17/7/1992 (कंटेनर्स)
4. मंडल संकल्प सं. 119, दि. 21/12/2010 (फास्फरिक अम्ल)
5. मंडल संकल्प सं. 197, दि. 18/10/2013 (पेट्रोलियम नौभार, घाट सं. 10)

1. सामान्य :

वर्तमान नीति के अनुसार महापत्तनों में निर्यात/आयात नौभार जहाजों के लिए मामला दर मामला आधार पर अग्रता बर्थिंग सुविधा दी जाती है । इसके अतिरिक्त, अनिवार्य वस्तुएं आदि के वर्ग के तहत सरकारी कारण से नौभार ले जानेवाले जहाजों को घाट लगाए जाने की शक्तियां महापत्तनों को दी गई हैं । आगे मंत्रालय ने पत्तन न्यासों को सलाह दी है कि प्रत्येक पत्तन में तटीय नौभार जहाजों के लिए एक समर्पित घाट की व्यवस्था की जाए अथवा जहां समर्पित घाट की व्यवस्था करना संभव न हो, वहां तटीय नौभार जहाजों के लिए अग्रता बर्थिंग सुविधा दी जाए । मंत्रालय के घाट आरक्षण योजना दिशानिर्देशों के अधीन, अग्रीम में घाट आरक्षण भी किया जा सकता है, यदि जहाज आगमन की अनुसूची कंटेनर जहाजों के लिए अग्रिम में दी जाती है अथवा अन्य जहाजों के लिए माह पूर्व किया जा सकता है ।

2.एमपीटी में सुविधाएं

एमपीटी में मौजूदा 11 घाट हैं और अवसंरचना सहित उनका विवरण निम्नवत है :-

क्रम सं.	घाट	सम्हलाया गया नौभार	अवसंरचना एवं उपकरण की स्थिति
1	घाट सं.1, 2व 3	शुष्क गोदी शिपयार्ड	मेसर्स वेइशिलि द्वारा प्रचालित जहाज मरम्मत गोदी
2	घाट सं.4	गैर-नौभार	194 मी. कुलधारिता तक के तथा बैक अप भूमि क्षेत्र रहित 7.8 मी. डुबाव वाले गैर नौभार जहाज के बर्थिंग हेतु
3	घाट सं. 5	सामान्य नौभार 1.5मिलियन टन	मेसर्स एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अपने इन-हाउस स्टील उत्पादों के निर्यात के लिए बूट आधार पर प्राइवेट रुप से प्रचालित जिसकी कुलधारिता 190 मी. तथा डुबाव 13.00 मी. है ।
4	घाट सं. 6	कोयला सम्हलाई 7.5 मिलियन टन	मेसर्स एसडब्ल्यूपीएल द्वारा बूट आधार पर प्राइवेट रुप से प्रचालित जिसकी कुलधारिता 225 मी. तथा डुबाव 14.00 मी. 3 एचएमसी है ।
5	घाट सं. 7	कोयला सम्हलाई 5 मिलियन टन	मेसर्स एएमपीटीपीएल द्वारा डीबीएफओटी आधार पर प्राइवेट रुप से प्रचालित जिसकी कुलधारिता 300 मी. तथा डुबाव 14.00 मी. और 2 एचएमसी है ।
6	घाट सं. 8	तरल बल्क 1 मिलियन टन	तरल नौभार सम्हलाई हेतु समर्पित घाट/भण्डारण स्थान/टैंकों की सम्हलाई हेतु अलग उपकरण/पाईपलाईन संस्थापित किए गए हैं । कुलधारिता 260 मी. तथा डुबाव

			13.00 मी. है । यह घाट पत्तन द्वारा प्रचालित है ।
7	घाट सं. 9	लौह अयस्क सम्हलाई 12.05 मिलियन टन	335 मी. कुलधारिता तथा 14.10 मी. डुबाव और 2 शिपलोडर, 3 स्टैकर, 2 रिकलेमर, 1 सीबीयू सहित यांत्रिकृत अयस्क सम्हलाई संयंत्र द्वारा लौह अयस्क सम्हलाई हेतु समर्पित घाट । यह घाट पत्तन द्वारा प्रचालित है ।
8	घाट सं.10 और 11 समपार	सामान्य नौभार	घाट सं. 10 जिसकी कुलधारिता 225 मी. तथा डुबाव 13.10 मी. और घाट सं. 11 जिसकी कुलधारिता 225 मी. तथा डुबाव 13.1 मी.। 1 एचएमसी से सज्जित, सामान्य नौभार के भण्डारण हेतु 3 आच्छादित क्षेत्रों का खुला क्षेत्र। सम्हलाया गया नौभार यथा वूडचिप्स, ग्रेनाइट, बॉक्साइट, स्टील कॉइल्स, उर्वरक, गेहूं, अल्यूमिना, निकल, कोबाल्ट, लौह अयस्क गुटिकाएं, फास्फरिक अम्ल, अन्य पीओएल उत्पाद कंटेनर जहाजों की भी सम्हलाई की जाती है । भण्डारण क्षेत्र तक अलग पाईपलाइन तथा पम्पिंग उपकरणों की व्यवस्था की गई है । यह घाट पत्तन द्वारा प्रचालित है ।
9	ब्रेक वॉटर घाट/ क्रूज घाट	यात्री जहाज	260 मी. कुलधारिता तथा 8.5 मी. डुबाव सहित क्रूज जहाजों के लिए समर्पित ।
10	मोल घाट	तटरक्षक/नौसेना जहाज	भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक जहाजों के लिए पट्टा आधार पर समर्पित ।

3. जहाजों के बर्थिंग के लिए नीति

यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि सामान्य नौभार जहाजों के लिए सीमित संख्या में घाट उपलब्ध है और घाट उपयोगिता की प्रतिशतता 85% से अधिक है, निर्यात तथा आयात नौभार जहाजों को समपार मानते हुए जहाजों प्रथम आए प्रथम पाए आधार पर घाट लगाया जाएगा ।

क) घाट के बगल में जहाजों के बर्थिंग के लिए अग्रता क्रम सामान्यतया निम्नवत होगा :-

i) यात्री जहाज

ii) कंटेनर जहाज

iii) पेट्रोलियम टैंकर जहाज

iv) फोस्फोरिक अम्ल टैंकर जहाज

v) तटीय नौभार जहाज

vi) उर्वरक जहाज

i) यात्री जहाज:- एमपीटी ने ब्रेकवाटर घाट में क्रूज जहाजों के लिए एकमात्र बर्थिंग सुविधा सृजित की है । घाट की लम्बाई 450 मी. है तथा अनुमत डुबाव 8.5 मी. है और 260 मी. कुलधारितावाले जहाजों को समायोजित किया जाता है । 260 मी. कुलधारिता के ऊपरवाले जहाजों को परम अग्रता आधार पर घाट संख्या 10 और 11 पर घाट लगाया जाएगा ।

ii) कंटेनर जहाज :- कंटेनर ले जानेवाले जहाजों को बर्थिंग हेतु परम अग्रता दी जाती है ।

iii) पेट्रोलियम जहाज :- घाट सं. 8 तरल नौभार के लिए समर्पित घाट है जहां तरल नौभार टैंकर जहाजों को प्रथम आएं, प्रथम पाएं आधार पर घाट लगाया जाता है । इसके अतिरिक्त घाट सं. 10 पर मेसर्स आईओसीएल और मेसर्स एचपीसीएल को परेषित पेट्रोलियम नौभार टैंकर जहाजों को लिखित अनुरोध पर परम अग्रता /अग्रता बर्थिंग दी जाती है । साथ ही यदि घाट 10 पर प्रचालित जहाज 12 घटों के भीतर कार्य पूरा कर सकता है, तो टैंकर जहाज को प्रचालित जहाज कार्य पूरा होने के पश्चात घाट लगाया जाएगा ।

iv) फोस्फोरिक एसिड टैंकर जहाज :- घाट सं. 10/11 पर फोस्फोरिक एसिड ले जानेवाले टैंकर को अग्रता बर्थिंग दी जाती है ।

v) तटीय नौभार जहाज :- पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तटीय जहाज को अग्रता बर्थिंग दी जाती है ।

vi) उर्वरक जहाज :- तैयार उर्वरक ले जानेवाले जहाजों को भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त अनुदेशों के अनुसार अग्रता बर्थिंग दी जाएगी ।

सामान्यतया घाटों/डॉल्फिनों पर नौभार का भारण/अभारण करनेवाले जहाजों को पत्तन में उनके आगमन के क्रम में और साथ ही जहाज, नौभार आदि के तत्परता के आधार पर घाट लगाया जाएगा ।

क) पेट्रोलियम जहाज तथा लौह अयस्क की निर्यात जहाजों को प्रथम आएं, प्रथम पाएं आधार पर समर्पित घाटों (घाट सं. 8 व 9) पर घाट लगाया जाता है और साथ ही निर्यात हेतु पत्तन में नौभार की तत्परता को ध्यान में रखा जाता है ।

ख) घाट सं. 10/11 पर सामान्य नौभार जहाजों को पैरा 3 में बताए अनुसार प्रथम आएं, प्रथम पाएं आधार तथा अग्रता आधार पर घाट लगाया जाता है ।

ग) मूरिंग डॉल्फिन पर नौभार के भारण/अभारण के लिए रिपोर्ट करनेवाले जहाजों को प्रथम आएं, प्रथम पाएं आधार पर और साथ ही जहाज की तत्परता, अनुमत लंबाई तथा डुबाव व नौभार की तत्परता पर लंगर लगाया जाता है ।

घ) यानांतरकों को पत्तन जलक्षेत्र में प्रचालन करने की अनुमति है, जहां पर निर्यात कों के स्वयं के जहाज के लदान हेतु कैप्टीव सुविधा है और अन्य निर्यातक भी उपलब्धता के अनुसार इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं ।

ङ) प्राइवेट टर्मिनल के यथा घाट सं. 5, 6 तथा 7 पर स्थित जहाजों को प्रथम आएं, प्रथम पाएं आधार पर भारण व अभारण हेतु ले जाया जाता है जो कि पर्याप्त भण्डारण क्षेत्र की उपलब्धता नौभार की तत्परता आदि के अधीन होता हैं ।

च) पत्तन में आए अन्य गैर-नौभार जहाजों को घाट के निष्क्रीय समय के दौरान समायोजित किया जाता है ।

4.जहाजों का बर्थिंग आगे पत्तन द्वारा नियत निम्नवत उत्पादकता मानदंडों के अधीन होगा :-

क्रम सं.	**नौभार**	**नियत (टीपीडी)**
शुष्क बल्क		
1	एमओपी	**5000 (3 हुक)**
2	यूरिया	**3700 (3 हुक)**
3	बॉवसाइट	**13000**
4	कच्ची चीनी (बल्क)	**4500**
5	मक्का /गेहूं	**4500**
6	वूड चिप्स	**6000 (80 से ऊपर 85 से नीचे)**
7	पिंड अयस्क	**5000**
8	चूना पत्थर	**7500**
9	लौह अयस्क गुटिकाएं	**12000**
ब्रेक बल्क		
1	एच आर कॉईल्स /स्टील स्लैब्स	**4200**
2	सी आर कॉईल्स	
3	स्टील बार्स	
4	ब्रेक बल्क नौभार जम्बो बैगो में (अल्यूमिना, सी पी कोक, निकल कोबाल्ट आदि)	**3000**
5	ग्रेनाइट	**3000 (3 हुक)**

तरल नौभार		
1	कॉस्टिक सोडा	**350**
2	फास्फरिक अम्ल	**500**
3	तरल अमोनिया	**400**
कंटेनर		
1	कंटेनर	**12 बॉक्सिस/घंटा**

यदि जहाज सम्हलाई प्रचालन उपरोक्त मानदंडों का अनुपालन नहीं करता है और जहाज का निष्पादन भी काफी कम है और प्रस्थान का अपेक्षित समय (इटीडी) बढता है तो जहाज से प्रभावी दर मानों के अनुसार मामला दर मामला आधार पर शास्तिक घाट किराया प्रभार वसूले जाएंगे ।

5. बर्थिंग नीति पोत परिवहन मंत्रालय/ न्यासी मंडल, एमपीटी के विशिष्ट निर्देशों के अनुसरण में समय-समय पर संशोधन के अधीन होगी ।

यातायात प्रबंधक